उनवानः– राजवती ...

मु0न0ः–83/2019

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांकः– 23.07.2019

मु0न0 83/2019

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

राजवती बेवा चेतराम जाति मीना निवासी मण्डेरू तहसील टोडाभीम। (वादीया)

बनाम

1. अमरसिह पुत्र जसराम
2. सीताराम पुत्र रामजीलाल
3. मेघराम पुत्र सोमोत्या
   जाति मीना निवासी मण्डेरू तहसील टोडाभीम।
4. तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट वादीया

निर्णय दिनांक 31.07.2024

वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम अजीजपुर की आराजी ख0न0 1410/0.04, 1411/0.18, 1412/0.21, 1413/0.06, 1414/0.12, 1415/0.08 कुल किता 06 कुल रकवा 0.69 है0 मे वादीया बहिस्सा 1/3 की खातेदार काश्तकार दर्ज है वादीया ने अपने हिस्से की जमीन पर के.सी.सी. ले रखी है इस प्रकार उक्त आराजीयात मे मालिकाना हक है। जिसमे किसी दीगर व्यक्ति का कोई लेना देना नही है। जिसमे वादीया ने बाजरे की फसल काश्त की है। आराजी ख0न0 1416/1.26 है0 ग्राम अजीजपुर मे 1/2 हिस्से की खातेदार है। जिसमे किसी दीगर व्यक्ति का कोई लेना देना नही है।

यह है कि वर्णित आराजीयात के हाल ख0न0 साबिक ख0न0 709/1 रकवा 1 बीघा 19 बिस्वा एवं अन्य ख0न0 709/1 मिन एवं ख0न0 710 रकवा 16 बिस्वा एवं खसरा न0 710 मिन न0, एवं ख0न0 711 रकवा 4 बीघा 15 बिस्वा एवं ख0न0 712/1 रकवा 5 बिस्वा से कायम किये है।

यह है कि ख0न0 1 रकवा 0.19 है0 गैर मु0 रास्ता जो कि राजस्थान सरकार की आराजी है एवं ख0न0 2 रकवा 0.25 है0 मंदिर श्री कमद खुण्डी जी महाराज की भूमि है जो कि ग्राम तुर्कपुर तहसील टोडाभीम मे है ख0न0 1, 2, 4 ग्राम तुर्कपुर से वादीया का काई लेना देना नही है। परन्तु सेटलमेन्ट कार्य के दौरान राजस्व कर्मचारियो ने मेरी खातेदारी आराजी ख0न0 1413/0.06, 1415/0.08 जो कि मेरी खातेदारी भूमि ख0न0 1416 के लिये एवं अन्य खेतो पर जाने का रास्ता है जो कि ग्राम अजीजपुर की सरहद के अन्दर है उक्त खेतो की मेड की लाईन को पतला कर दिया, एवं ग्राम अजीजपुर व मुर्कपुर के बीच मे साबिक ट्रेस मे जो मेड लाईन जो मोटी लाईन है उसको मिटा दिया है।

यह है कि ख0न0 1413/0.06 किस्म गै0मु0रास्ता ... 1415 रकवा 0.08 है0 गै0मु0रास्ता मेरी खातेदारी का निजी रास्ता है। ... जाने के लिये काम मे ले रही है जो कि ग्राम अजीजपुर मे है, तुर्कपुर ... है। मुर्कपुर मे ख0न0 1 राजकीय भूमि 0.19 है0 रास्ता रिकार्ड जमाबन्दी दर्ज है। जो कि तुर्कपुर का है। परन्तु प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:10:17 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

ग्राम अजीजपुर मे मेरी आराजी ख0न0 1413, 1415, 1416 को गैरसायलान हडपना चाहते है। मेरी आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है। और उसको जबरदस्ती तुर्कपुर मे मिलाना चाहते है। सेटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा ग्राम अजीजपुर एवं तु... की मोटी लाईन मेड की रेखा हो मिटाने के कारण मेरे ख0न0 1413 एवं ख0न0 1415 को तुर्कपुर के ख0न0 1 मे मिलाना चाहते है। इस कारण मेरे ख0न0 1413, 1415 ग्राम अजीजपुर एवं ... ग्राम तुर्कपुर के बीच मे माननीय न्यायालय जॉच करवाकर एवं सीमाज्ञान करवाकर ... सीमा निर्धारण कर हाल ट्रेस की दुरूस्ती कर दोनो ख0न0 1413, 1415 ग्राम ... ख0न0 1 ग्राम तुर्कपुर के बीच मे मोटी लाईन साबिक ट्रेस रिकार्ड के अनुसार हाल ... लाईन खिचवाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:01:01 IST
Reason: SelfAttested

बॉका दिनांक 19.07.2019 का है कि प्रतिवादी न0 1 ता 3 हाथो मे फावडे व परात लेकर आये और बोले कि हमने पटवारी तहसीलदार से पूछ लिया है, हम जबरदस्ती तेरे खेत ख0न0 1412, 1413, 1415, 1416 मे मिट्टी डलवाकर दीवार बनवायेगे। तेरे खेतो मे बाजरे की फसल को बर्बाद करेगे। जबकि प्रतिवादी न0 1 ता 3 का वर्णित आराजीयात से कोई लेना देना नही है। प्रतिवादीगण आदतन भूमाफिया किस्म के लोग है जिन्होने मंदिर कदमखुण्डी की जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। मेने प्रतिवादीगण से काफी विनती की लेकिन वो मानने को तैयार नही है। एवं मेरी आराजी ख0न0 1413, 1415, 1416 की डोल–मेड को हडपना चाहते है। इस प्रकार प्रतिवादी न0 1 ता 3 को पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इस कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण इन्द्राज दुरूस्ती फरमाकर ख0न0 1413 रकवा 0.06 है0 गै0मु0रास्ता, ख0न0 1415 रकवा 0.08 है0 गै0मु0रास्ता मे ग्राम तुर्कपुर की सीमा की तरफ साबिक रिकार्ड ट्रेस नक्शा के अनुसार लाल लाईन डोटेड कर हाल रिकार्ड नक्शा मे सीमा निर्धारण कर मोटी लाईन के रू` मे ख0न0 1413, 1415 ग्राम अजीजपुर एवं खसरा नम्बर 1 रकवा 19 है0 के मध्य फरमाई जावे। एवं वर्णित आराजी ग्राम अजीजपुर की आराजी ख0न0 1410/0.04, 1411/0.18, 1412/0.21, 1413/0.06, 1414/0.12, 1415/0.08, 1416/1.26 कुल किता 07 कुल रकवा 1.95 है0 मे सायला के हिस्से की आराजी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नही करे, नाही किसी अन्य से करावे, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल न0 04 तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, प्रतिवादी न0 1 ता 3 ने दिनांक 13.09.2019 को जरिये वकालन उपस्थिति दर्ज करवाकर वकालतनामा पेश किया, वकालत नामा पेश होने के उपरान्त दिनांक 22.08.2023 तक जबाब पेश नही किया गया। तथा अनुपस्थित न्यायालय रहने से प्रतिवादी न0 1 ता 3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वादीया वकील की बहस सुनी गई। वादीया वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम अजीजपुर की आराजी ख0न0 1410/0.04, 1411/0.18, 1412/0.21, 1413/0.06, 1414/0.12, 1415/0.08 कुल किता 06 कुल रकवा 0.69 है0 मे वादीया वहिस्सा 1/3 की, आराजी ख0न0 1416/1.26 है0 ग्राम अजीजपुर मे 1/2 हिस्से की खातेदार है। जिसमे किसी दीगर व्यक्ति का कोई लेना देना नही है। वर्णित आराजीयात के हाल ख0न0 साबिक ख0न0 709/1 रकवा 1 बीधा 19 बिस्वा एवं अन्य ख0न0 709/1 मिन एवं ख0न0 710 रकवा 16 बिस्वा एवं खसरा न0 710 मिन न0, एवं ख0न0 711 रकवा 4 बीधा 15 बिस्वा एवं ख0न0 712/1 रकवा 5 बिस्वा से कायम किये है। ख0न0 1 रकवा 0.19 है0 गैर मु0 रास्ता जो कि राजस्थान सरकार की आराजी है एवं ख0न0 2 रकवा 0.25 है0 मंदिर श्री कमद खुण्डी जी महाराज की भूमि है जो कि ग्राम तुर्कपुर तहसील टोडाभीम मे है ख0न0 1, 2, 4 ग्राम तुर्कपुर से वादीया का कोई लेना देना नही है। परन्तु सेटलमेन्ट कार्य के दौरान राजस्व कर्मचारियो ने वादीया के खेतो की मेड की लाईन को पतला कर दिया, एवं ग्राम अजीजपुर व तुर्कपुर के बीच मे साबिक ट्रेस मे जो मेड लाईन

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

जो मोटी लाईन है उसको मिटा दिया है। प्रतिवादी न0 1 ता 3 ग्राम अजीजपुर मे मेरी आराजी ख0न0 1413, 1415, 1416 को हडपना चाहते है। मेरी आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है। और उसको जवरदस्ती तुर्कपुर मे मिलाना चाहते है। इसलिये वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बावत इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे।

वादीया वकील की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे शामिल ग्राम अजीजपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता न0 240 मे कुल किता 6 कुल रकवा 0.69 है0 वादीया 1/3 हिस्से की तथा खाता संख्या 255 मे कुल किता 1 कुल रकवा 1.26 हे0 मे वादीया 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से मे अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादीया द्वारा ख0न0 1413/0.06, 1415/0.08 है0 की सीमा के संबध मे अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली मे शामिल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 मे ख0न0 1413 रकवा 0.06 है0 साबिक ख0न0 709/1 से बना है तथा ख0न0 1415 रकवा 0.08 है0 साबिक ख0न0 710 मिन से बने है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मे प्रकरण दो ग्रामो की सीमा से संबधित है इसलिये दोनो ग्रामो की सीमाओ का निस्तारण भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किया जाना है। तथा वादीया द्वारा दोनो ग्रामो से संबधित दस्तावेज भी पत्रावली मे पेश नही किये गये है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बावत इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:10:17 IST
Reason: SelfAttested